



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 16, गुरुवार, शाके 1943-मई 6, 2021
Vaisakha 16, Thursday, Saka 1943- May 6, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 06, 2021

संख्या प.1(1)चिस्वा/गुप-2/2020 :-विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16.12.2020 के द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए राज्य में स्थित निजी चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अधिसूचना दिनांक 03.09.2020 के उप बिन्दु "दवाएँ जिनकी दर पैकेज में सम्मिलित नहीं है" में क्रम संख्या एक पर अंकित Inj. Remdesivir 100 mg की अधिकतम दरें 4000/- रूपए के स्थान 2800/- रूपए निर्धारित की गई थी।

उक्त अधिसूचना की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे निजी चिकित्सालय जिनको Inj. Remdesivir 100 mg की आपूर्ति राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन द्वारा की जा रही है, उनमें Inj. Remdesivir 100 mg की अधिकतम दरें राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होगी तथा शेष निजी चिकित्सालयों में Inj. Remdesivir 100 mg की अधिकतम दरें MRP से अधिक नहीं होगी।

सिद्धार्थ महाजन,
शासन सचिव।

7746

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।